

## राजस्थान सरकार

# निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/142/से.नि./जोन-जोधपुर/2024/२४

दिनांक :- 12/2/24

### आदेश

श्री भोमा राम, वरिष्ठ सहायक, उप जिला चिकित्सालय लोहावट, फलोदी (जिनकी सर्विसबुक अनुसार जन्म तिथि 10.02.1964 है) को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 29.02.2024 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री भोमा राम, वरिष्ठ सहायक, उप जिला चिकित्सालय लोहावट, फलोदी के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/142/से.नि./जोन-जोधपुर/2024/२४

दिनांक :- 12/2/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी, डीपीसी, अराजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
4. उप जिला चिकित्सालय लोहावट, फलोदी के पत्र क्रमांक 26 दिनांक 15.01.2024 के क्रम में।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि आडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0जयपुर

RajKaj Ref  
5583119

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh  
Kumar Naval  
Designation : Director  
Date :09-02-2024 02:26:11